# भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

# DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2024-25/2024/5692 दिनांक: 01-10-2024

To,

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

विषय: **<u>शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एंटी रैगिंग उन्मुखीकरण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन करने के संबंध में।</u>**

Sub: **<u>Conduct Anti-Ragging Orientation Program/ Workshop for the academic session 2024-25 - Regarding</u>**

महोदय/ महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दंत कॉलेजो मे रैगिंग के खतरे को रोकने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार, डेंटल कॉलेजो मे प्रबंधन/प्राचार्य का कर्तव्य और ज़िम्मेदारी है कि यूजी/पीजी डेंटल छात्र जिस कॉलेज मे प्रशिक्षण प्राप्त करे वहाँ दंत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रवाहकीय वातावरण बनाए और डेंटल कॉलेजो मे किसी भी प्रकार कि रैगिंग को रोकने/प्रतिबंधित/अंकुश के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये ताकि यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के छात्र इसके विभिन्न मापदंडो और दंत शिक्षा की अवधरणाओं का अध्ययन करने मे सक्षम बने और एक शांत और शांतिपूर्ण मौहोल हो क्योंकि दंत शिक्षा के लिए भीषण अध्ययन की आवश्यकता होती है।

2. इसके अलावा, "संस्थान स्तर (प्रवेश से पहले) पर रैगिंग की रोकथाम के उपाय" शीर्षक के अंतर्गत उपरोक्त विनियम के उप-विनियम 9.1.8, 9.2.5, 9.4.3 और अनुलग्नक 'ए' के दूसरे बिंदु का प्रासंगिक उद्धरण जानकारी के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "*9.1.8* शैक्षणिक सत्र के आरंभ मे संस्थान का अध्यक्ष संस्थान मे रैगिंग रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों तथा अपराधियों का पता लगाने और उन्हे समुचित रूप से दंडित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे मे चर्चा करने के लिए होस्टल वार्डनों, छात्रों, माता-पिता, संकाय, जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों जिनमे पुलिस शामिल है जैसे विभिन्न कार्मिको / एजेंसियों की एक बैठक आयोजित करेगा और उसे संबोधित करेगा।"
>
> "*9.2.5* संस्थान "नए छात्रो" और वरिष्ठों के संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।"
>
> "*9.4.3* संस्थान मे रैगिंग पर एक निगरानी सेल होगा जोकि दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम, परामर्शी सत्र आदि आयोजित करने के अनुदेशों के कार्यान्वयन के संबंध मे तथा रैगिंग की घटनाओ, वार्डनों और अन्य कार्मिको आदि को पेश आ रही समस्याओ के संबंध मे रैगिंग-विरोधी समितियों, दस्तो और परामर्शी सेलों के क्रियाकलापों का समन्वय करेगा। यह सेल उनके द्वारा किए गए रैगिंग-विरोधी उपायो के प्रचार के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी करेगा, प्रति वर्ष अभ्यर्थियों / छात्रों और उनके माता-पिता तथा अभिभावकों से प्रतिज्ञाओ की प्राप्ति की परस्पर जांच करेगा और संस्थान के स्तर पर रैगिंग-विरोधी उपायो के कार्यान्वयन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए कार्यवाई की शुरुआत

करने के मामले मे अग्रणीप्रावर्तक होगा।"

"अनुलग्नक 'ए' (डीसीआई एंटी रैगिंग विनियम 02.09.2009 में परिशिष्ट)"

"स्थितिअनुसार पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के बाद वरिष्ठ छात्रों के आगमन पर निम्नानुसार और आगे दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए *(i)* किसी व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा 'नए छात्रों' और वरिष्ठों-दोनों के लिए संयुक्त/संवेदीकरण कार्यक्रम और परामर्श*; (ii)* 'नए छात्रों' और वरिष्ठों का संयुक्त दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम जिसे संस्थान के प्रिन्सिपल/ अध्यक्ष तथा रैगिंग-विरोधी समिति द्वारा संबोधित किया जाएगा*; (iii)* बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य क्रियाकलापों का आयोजन जिससे कि 'नए छात्रों' और वरिष्ठों को संकाय सदस्यों की उपस्थिति में वैचारिक आदान-प्रदान करने का एक मंच उपलब्ध कराया जा सके*; (iv)* होस्टल में वार्डन को सभी छात्रों को संबोधित करना चाहिए; वह कॉलेज के संकाय के दो कनिष्ठ सहकर्मियों को अस्थायी अवधि के लिए आवासी ट्यूटर बनकर वार्डन की सहायता करने का अनुरोध कर सकता हैं।"

3. उपरोक्त के अलावा, 18 और 19 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय दंत परिषद की आम सभा के निर्णय को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

XXXX

*The Council decided that all the dental colleges shall be directed to conduct workshop/seminar/conference in the beginning of BDS Course for periodic training to the members of Anti Ragging Cells/Committees/Squads of Dental Colleges and for awareness about ragging amongst the students and to invite a member of the Dental Council of India of their State or neighboring State (if not available in their state) in the said program.*

XXXX

4. उपरोक्त के ध्यान मे रखते हुए, आपको निदेश दिया जाता है कि आप अपने दंत कॉलेज में **बीडीएस/ एमडीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत में** अपने राज्य या पड़ोसी राज्य (यदि आपके राज्य में उपलब्ध न हो) से भारतीय दंत परिषद के किसी एक सदस्य को आमंत्रित/बुलाकर दंत कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल/समितियों/स्क्वाड/हितधारकों के सदस्यों को आवधिक प्रशिक्षण के लिए और छात्रों (नए छात्रों और वरिष्ठों) के बीच रैगिंग के बारे में जागरूकता के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम / कार्यशाला का आयोजन **15 दिनो के भीतर** आवश्यक रूप से करे और कार्यक्रम की रिपोर्ट **DCI एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करें**, जिसके विफल होने पर डीसीआई विनियम 11.4 के अनुसार आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

5. इसके अलावा, आपको उन्मुखीकरण कार्यक्रम/कार्यशाला की **जियो टैग फोटो (डीसीआई सदस्य, छात्रों और सभी हितधारकों की उपस्थिति दिखाते हुए), कार्यक्रम की रिपोर्ट एवं सीनियर और फ्रेशर्स छात्रों के साथ प्रतिभागियों की विधिवत हस्ताक्षरित सूची** एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करने का निदेश दिया जाता है।

6. डीसीआई सदस्य के टीए/डीए (TA/DA) सहित उपरोक्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम / कार्यशाला का सभी खर्च संबंधित दंत कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा।

7. यह पुनः दोहराया जाता है कि **केवल DCI एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड की गयी एंटी रैगिंग उन्मुखीकरण**

**कार्यक्रम/कार्यशाला की रिपोर्ट पर ही भारतीय दंत परिषद द्वारा विचार किया जाएगा तथा किसी भी हार्ड कॉपी/ ईमेल की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाएगा।**

Sir/Madam,

I am directed to inform that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges 2009, it shall be the duty and responsibility of Management/Principal of the Dental Colleges to create a conducive atmosphere for imparting dental education to the UG/PG Dental students undergoing training in such colleges and take all necessary steps to prevent/prohibit/curb ragging of any type in their Dental Colleges to enable students to study the UG/PG Dental Course and its various parameters and concepts of dental education in a calm and peaceful atmosphere as the dental education requires grueling studies.

2. Further, the relevant extract of sub-regulations 9.1.8, 9.2.5, 9.4.3 and 2nd point of the Annexure 'A' under the heading "Measures for prevention of ragging at the institutions level (before admissions)" of the above regulations is reproduced hereunder for information:-

> *"9.1.8 At the commencement of the academic session, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like hostel Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration including police to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to indentify the offenders and punish them suitably."*

> *"9.2.5 The institution shall also organize joint sensitization programmes of 'freshers' and seniors."*

> *"9.4.3 The institution shall have a Monitoring Cell on Ragging to coordinate with activities of the Anti-Ragging Committees, Squad and Mentoring Cells, regarding compliance with the instructions on conducting orientation programmes, counseling sessions etc., and regarding the incidents of ragging, the problems faced by wardens and other officials, etc. This Cell shall also review the efforts made by them to publicize anti-ragging measures, cross-verify the receipt of undertakings from candidates/students and their parents/guardians every year, and shall be the prime mover for initiating action to facilitate the implementation of anti ragging measures at the level of the institution."*

> *"Annexure 'A' (Addendum in DCI Anti Ragging Regulation on 02.09.2009)"*

> *"On the arrival of senior students after the first week or after the second week as the case may be, further orientation programmes must be scheduled as follows (i) joint sensitization programme and counseling of both 'freshers' and seniors by a professional counsellor; (ii) joint orientation programme for 'freshers' and seniors to be addressed by the Principal/Head of the institution, and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the 'freshers' and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration."*

3. In addition to the above, the decision of the General Body of the Dental Council of India arrived in

its meeting held on 18th & 19th Sep, 2022 at New Delhi is reproduced hereunder:-

*XXXX*

*The Council decided that all the dental colleges shall be directed to conduct workshop/seminar/conference in the beginning of BDS Course for periodic training to the members of Anti Ragging Cells/Committees/Squads of Dental Colleges and for awareness about ragging amongst the students and to invite a member of the Dental Council of India of their State or neighbouring State (if not available in their state) in the said program.*

*XXXX*

4. In the view of above, you are directed to conduct an Anti Ragging Orientation Program/ Workshop at your Dental College **in the beginning of BDS/ MDS Course** by inviting /call any one Member of Dental Council of India from your State or neighboring States (if not available in your State) for periodic training of the members of the Anti Ragging Cells/Committees/Squads/stakeholders of Dental Colleges and for awareness about ragging amongst students (freshers and seniors) **within 15 days positively** and **upload the program report on DCI's Anti Ragging Online Module,** failing which necessary action will be taken by the DCI, as per the provision 11.4 of said DCI Regulations.

5. Further, you are directed to upload the **Geo tagged photographs of the program (showing presence of DCI member, students and all the stakeholders), Program report & duly signed list of participants alongwith Fresher and Senior students.**

6. All the expenses of the above Orientation Program / Workshop including TA/DA of the Member of the DCI shall be borne by concerned Dental College.

7. It is again reiterated that **only the uploaded Anti Ragging Orientation Program report will be considered by the council and no hard copy/emails will be considered as report submission**.

भवदीय / Yours faithfully,

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2024.10.01 17:08:43 IST
Reason: Reason
Location: Location

विनय गुप्ता (Vinay Gupta)

उप सचिव / Deputy Secretary

भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

Copy for information to:-

Dr. Ashu Kumar Gupta, (via Email)
Dean, Faculty of Dental Sciences,
H.P. Government Dental College & Hospital, Shimla,
Himachal Pradesh - guptaashumoni@gmail.com
For Information.

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2024.10.01 17:08:43 IST
Reason: Reason
Location: Location

विनय गुप्ता (Vinay Gupta)

उप सचिव / Deputy Secretary

भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

प्रतिलिपि / CC:-

अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली / The President, Dental Council of India, New Delhi

भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2024-25/2024/5927 दिनांक: 09-10-2024

To,
The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

विषय: **शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एंटी-रैगिंग उन्मुखीकरण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में।**

Sub: **Regarding conducting Anti-Ragging Orientation Program/ Workshop for the academic session 2024-25**

महोदय,

भारतीय दंत परिषद के परिपत्र दिनांक 01.10.2024 के अनुक्रम में, मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि भारतीय दंत परिषद को विभिन्न दंत कॉलेजों से सत्र 2024-25 के लिए एंटी रैगिंग उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्धारित समय अवधि बढ़ाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिसमे सूचित किया गया है कि कॉलेजों मे अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जो 05 नवंबर, 2024 को समाप्त होगी। तदनुसार, कॉलेजों के अनुरोधों पर विचार करने के साथ-साथ छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, दंत कॉलेजों को सत्र 2024-25 के लिए एंटी रैगिंग उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन करने और डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर **दिनांक 30.11.2024** तक रिपोर्ट अपलोड करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

यह पुनः दोहराया जाता है कि **केवल डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड की गयी एंटी रैगिंग उन्मुखीकरण कार्यक्रम/कार्यशाला की रिपोर्ट पर ही भारतीय दंत परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। कृप्या कोई भी हार्ड कॉपी/ईमेल न भेजे और कागज बचाये।**

यह भारतीय दंत परिषद के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Sir,

In continuation to DCI circular dated 01.10.2024, I am directed to state that DCI is in receipt of requests from various dental colleges regarding extending the stipulated time period for conducting Anti Ragging Orientation Program for 2024-25, due to the ongoing admission process that will conclude on 05$^{th}$ Nov 2024. Accordingly, considering these request as well as in the larger interest of the students, it has been decided to allow the dental colleges to conduct Anti Ragging Orientation Program for 2024-25 and upload the report of the same on DCI Anti Ragging Online Module **upto 30.11.2024**.

It is again reiterated that **only the uploaded Anti Ragging Orientation Program report on Anti Ragging Online Module will be considered by the Council. Do not submit hard copy/emails and save papers.**

This issues with the approval of Competent Authority of DCI.

भवदीय / Yours faithfully,

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2024.10.09 12:03:19 IST
Reason: Reason
Location: Location

विनय गुप्ता (Vinay Gupta)
उप सचिव / Deputy Secretary
भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

प्रतिलिपि / CC:-

अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली / The President, Dental Council of India, New Delhi